

न्यायालय:- श्रीमान प्रिवेन्द्र कुमार सेन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद


क्रमांक/67 /न्यायालय/2020

होशंगाबाद, दिनांक-20.03.2020

-:सूचना-पत्र:-

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा जारी एडवाईजरी/निर्देश क्रमांक-345/आर.जी./2020 जबलपुर दिनांक 17.03.2020 एवं एडवाईजरी दिनांक 20.03.2020 के अनुसार दिनांक-31.03.2020 तक कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण को देखते हुये केवल अत्यन्त आवश्यक प्रकृति के मामलों में जैसे जमानत आवेदन और स्टेट/अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्रों की सुनवाई की जाना है। शेष समस्त प्रकरणों को उक्त अवधि में स्थगित रखे जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके पालन में आज दिनांक 20.03.2020 से दिनांक-31.03.2020 तक के लिये नियत समस्त व्यवहार/आपराधिक प्रकरणों को पूर्व प्रक्रम पर ही निम्नानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किये जा रहे हैं:-

क्रमांक	नियत दिनांक	आगामी दिनांक
1	20.03.2020	03.04.2020
2	21.03.2020	04.04.2020
3	23.03.2020	07.04.2020
4	24.03.2020	08.04.2020
5	26.03.2020	09.04.2020
6	27.03.2020	13.04.2020
7	28.03.2020	15.04.2020
8	30.03.2020	16.04.2020
9	31.03.2020	17.04.2020


(प्रिवेन्द्र कुमार सेन)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
होशंगाबाद

प्रतिलिपि:-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- अध्यक्ष जिला अग्निभाषक संघ होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अधीक्षक केन्द्रीय जेल होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि वे उक्त कॉलम नंबर-2 में वर्णित पेशी दिनांकों को वारंट/अभियुक्त को कॉलम नंबर-3 में वर्णित नियत दिनांकों को न्यायालय में पेश करें।
- 4- सिरस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय होशंगाबाद की ओर उक्त सूचना-पत्र को न्यायालय की बैबसाइड पर अपलोड करने बावत् प्रेषित।
- 5- न्यायालय के सूचना-पटल पर चरपा हेतु।


(प्रिवेन्द्र कुमार सेन)
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
होशंगाबाद